प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>**

**<u>दांडिक अपील क्रमांक 52 /2001</u>**

बहोरनदास उर्फ़ बाबा

**- बनाम -**

छत्तीसगढ़ राज्य

---

**विचारार्थ हेतु निर्णय**

**हस्ताक्षर-**

**एल.सी.भादू**

**न्यायाधीश**

13-10-2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>माननीय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा</u>**

**<u>मै सहमत हू</u>**

**हस्ताक्षर-**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

15-10-2007

<u>दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 को निर्णय उद्घोसित किये जाने हेतु सूचीबद्ध करे</u>।

**हस्ताक्षर-**

**-एल.सी.भादू**

**न्यायाधीश**

15-10-2007

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>**

**<u>दांडिक अपील क्रमांक 52/2001</u>**

**अपीलार्थी:** बहोरनदास उर्फ़ बाबा

**(जेल में)** पिता नरसिंह दास

उम्र लगभग 52 वर्ष

निवासी ग्राम भटगांव,

पुलिस थाना बिलाईगढ़,

जिला रायपुर।

**बनाम**

**प्रत्यर्थी:** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारापुलिस थाना बिलाईगढ़, जिला रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)**

---

<u>उपस्थिति:</u>

श्री अविनाश के. मिश्रा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री यू.के.एस. चंदेल, राज्य/प्रत्यर्थी के पैनल अधिवक्ता।

---

**<u>युगलपीठ</u>: माननीय श्री एल.सी. भादू एवं**

**माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा,न्यायाधीशगण**

**<u>निर्णय</u>**

**(<u>15 अक्टूबर, 2007 को पारित</u>)**

**<u>न्यायमूर्ति एल.सी. भादू</u>** <u>द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया: -</u>

1. यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक310/99 में दिनांक 12-10-2000 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र

न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 केतहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया था, अर्थदण्ड न देने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सावित्री (अब मृत) गांवः भटगांव की निवासी थी। अभियुक्त/ अपीलार्थी बहोरनदास उर्फ बाबा भी गांवः भटगांव का निवासी है। वह सावित्री से अक्सर मिलने आता था, क्योंकि उसके पिता जीवित नहीं थे और उसकी मां काम के लिए घर से बाहर रहती थी। अभियुक्त और मृतक के बीच प्रेम संबंध थे। दिनांक 4-6-1999 को सावित्री की मां गांवः कन्नौद में आम लेने गई थी, लगभग शाम 6 बजे अभियुक्त सावित्री के घर आया और उससे पूछा कि वह बस स्टैंड पर अन्य लड़कों के साथ क्यों हंस रही थी। सावित्री ने इससे इनकार किया, जिस पर अभियुक्त क्रोधित हो गया। पहले तो उसने उसे थप्पड़ मारा और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल डाला, आग लगा दी दरवाजा बंद किया और भाग गया। सावित्री ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी बीच, अभियुक्त वापस आया और आग बुझाने के लिए उसके शरीर पर पानी डाला। सावित्री की चचेरी बहन सुदेशी, उसकी बेटी सीता, गाँव का कोटवार और अन्य लोग घर पर आ गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मामले की शिकायत सावित्री ने स्वयं पुलिसथाने में की थी, जिस पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन {प्रदर्श.पी-13(बी)} थाना प्रभारी, पुलिस थाना बिलाईगढ़ द्वारा दर्ज की गई थी। वह घटनास्थल के लिए रवाना हुए और नजरी नक्शा (प्रदर्श.पी-14) तैयार किया। सावित्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिलाईगढ़ भेजा गया, जहां डॉ. एन.एल. उपाध्याय ने जलने से हुई घावों की जांच की और चोट के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रदर्श.पी-9 तैयार की। अभियुक्त बहोरनदास को भी जलने के घावों की जांच के लिए भेजा गया और डॉ. एन.एल. उपाध्याय ने जांच के बाद चोट के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रदर्श.पी-10 तैयार की। सावित्री का मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श.पी.11 कार्यपालिक दंडाधिकारी जीवन सिंह राजपूत (अ.सा-8) द्वारा दर्ज किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्श.पी-2 के तहत साड़ी का जला हुआ टुकड़ा, एक पेटीकोट, एक लाल रंग की डोरी, एक माचिस और सावित्री के आधे जले हुए बाल जब्त किए। प्रदर्श.पी-3 के तहत एक ब्लाउज जब्त किया गया 100 ग्राम मिट्टी का तेल से भरा एक प्लास्टिक का जेरीकेन प्रदर्श.पी-4 के अंतर्गत ज़ब्त किया गया। सावित्री की अस्पताल में जलने से मृत्यु हो गई, इसलिए अन्वेषण अधिकारी ने पंचगणों को प्रदर्श.पी-6ए की सुचना देने के बाद उसके शव पर मृतक समीक्षा प्रदर्श.पी-7 अन्वेषण रिपोर्ट तैयार की। हल्का पटवारी द्वारा नजरी नक्शा प्रदर्श.पी-12 तैयार किया गया। ज़ब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन प्रदर्श.पी-17 प्राप्त हुई। सावित्री के शव को शवपरीक्षण के लिए मेकाहारा, रायपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. संजय कुमार दादू ने उनका

शवपरीक्षण किया और बताया कि मृत्यु जलने और उसकी जटिलताओं के कारण हृदय गति रुकने से हुई। उन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 तैयार की।

4. अन्वेषण पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बलौदा बाजार के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उपार्पित किया, जहां से विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार को प्रकरण सुनवाई हेतु स्थानांतरित कर दिया।

5. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 18 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसने अपने बचाव में दो गवाहों, केशव प्रसाद श्रीवास और निर्मल कुमार का परीक्षण करवाया।

6. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों के अधिवक्तागण की सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को दोषी ठहराया और उपरोक्तानुसार सजा सुनाई।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश के. मिश्रा और राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री यू.के.एस.चंदेल को सुना।

8. इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष या चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है। पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) सावित्री द्वारा 5-6-1999 को प्रातः 8.40 बजे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श.पी-1)तथा पुलिस थाना के थाना प्रभारी सी.बी. प्रधान के समक्ष दिया गया मृत्युकालिक घोषणा {प्रदर्श.पी-13(बी)}, और

(ii) सावित्री द्वारा गवाहों के समक्ष दिया गया मौखिक मृत्युकालिक घोषणा।

**<u>प्रथम परिस्थिति</u>**

9. जहाँ तक इस परिस्थिति का संबंध है, श्री अविनाश के. मिश्रा ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया, सावित्री 55% तक जली हुई थी, इसलिए वह मृत्युपूर्व घोषणा देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श.पी-11) पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृत्युकालिक घोषणा प्री.पी-11 के अवलोकन से पता चलता है कि डॉ. एन.एल. उपाध्याय द्वारा दिया गया स्वस्थ्य प्रमाणपत्र मृत्युकालिक घोषणा दर्ज होने के बाद दिया गया था और इसीलिए 'उपाध्याय' नाम को क्रम में नहीं, बल्कि दो भागों में लिखा गया है।

10. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने अभिलेख का अवलोकन किया है। '**हेइक्रुजम चाओबा सिंह बनाम मणिपुर राज्य**'[1]मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक मृत्युकालिक घोषणा की विश्वसनीयता पर विचार करते हुए यह अधिनिर्धरित किया है कि

> "मौखिक मृत्युकालिक घोषणा निस्संदेह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, यद्यपि न्यायालय विवेक के नियम के रूप में इसकी पुष्टि की अपेक्षा करते हैं। लेकिन उक्त बयान पर कार्रवाई करने से पहले, न्यायालय को इसकी सत्यता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और यह भी कि उक्त मृतक द्वारा उस समय की गई थी जब वह बयान देने के लिए स्वस्थ अवस्था में था। मृत्युकालिक घोषणा को समग्र रूप में लिया जाना चाहिए और जो गवाह एसे मौखिक के बारे में गवाही देता है, उसे विश्वसनीयता की जांच से गुजरना होगा।"

11. सर्वोच्च न्यायालय ने "**मुथु कुट्टी एवं अन्य बनाम राज्य, द्वारापुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु**"[2] के मामले में यह निर्णय दिया कि मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित विधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 में वर्णित सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, जो कि अनुश्रुत साक्ष्य (hearsay evidence) को अमान्य मानता है। मृत्युकालिक घोषणा को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का सिद्धांत इस विधिक सिद्धांत में निहित है: **"Nemo moriturus praesumitur mentire"** — अर्थात् 'कोई व्यक्ति जो मरने वाला है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह झूठ बोलेगा।'इसके अतिरिक्त, यदि मृत्यु-पूर्व बयान को साक्ष्य से बाहर कर दिया जाए, तो इससे न्याय का गंभीर हनन होगा, क्योंकि गंभीर अपराधों में प्रायः पीड़ित ही एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी होता है, और उसके बयान को हटाने से न्यायालय के पास साक्ष्य का कोई अंश शेष नहीं रह जाता।सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि मृत्युकालिक घोषणा को उच्च महत्व दिया जाता है, तथापि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभियुक्त को प्रति परीक्षण का अवसर नहीं मिल पाता है। ऐसा अधिकार सत्य को उजागर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि मृत्यु-पूर्व बयान ऐसा हो जो उसकी सत्यता में पूर्ण विश्वास उत्पन्न कर सके।न्यायालय को यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि मृतक का बयान न तो किसी प्रकार की प्रेरणा, दबाव अथवा कल्पना का परिणाम हो। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मृतक की मानसिक स्थिति साक्ष्य देने योग्य थी तथा उसके हमलावर को पहचानने व देखने का स्पष्ट अवसर पाया था। एक बार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि मृत्युकालिक घोषणा सत्य एवं स्वेच्छापूर्वक दिया गया है, तो उस पर आधारित होकर बिना किसी अन्य पुष्टिकरण के दोषसिद्धि दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई अपरिवर्तनीय विधिक नियम नहीं है कि मृत्यु-पूर्व बयान पर आधारित होकर तब

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[1]1999(4) Crimes 327 (SC)

[2](2005) 9 SCC 113

तक दोषसिद्धि नहीं की जा सकती जब तक कि वह पुष्ट न हो। पुष्टिकरण की आवश्यकता केवल एक विवेकशीलता का नियम है, विधिक अनिवार्यता नहीं।

12. विचाराधीन बिंदु का परीक्षण **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में किया जाना है। यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक संदर्भ था जिसमें यह प्रश्न उठा था कि क्या डॉक्टर का यह प्रमाण पत्र कि रोगी होश में है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि घोषणा करते समय रोगी मानसिक रूप से स्वस्थ था, घोषणाको अस्वीकार्य बनाता है और मृत्युकालिक घोषणा दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि कि घोषणा करते समय घायल व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या यह विधि का सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले पर विचार करने के बाद यह माना कि सामान्यतः, न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मृतक मृत्युकालिक घोषणा देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था, चिकित्सा राय पर विचार करता है। लेकिन जहाँ प्रत्यक्षदर्शी यह कहते हैं कि मृतक घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में था, वहाँ चिकित्सा राय मान्य नहीं होगी और न ही यह कहा जा सकता है कि चूँकि घोषणाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाणन नहीं है, इसलिए मृत्युकालिक घोषणा स्वीकार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मृत्युकालिक घोषणा मौखिक या लिखित हो सकता है और संप्रेषण का पर्याप्त तरीका, चाहे शब्दों द्वारा हो, संकेतों द्वारा हो या अन्यथा, पर्याप्त होगा, बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। यह भी कहा गया है कि विधि की कोई आवश्यकता नहीं है कि मृत्युकालिक घोषणा अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिकथित किया जाए और जब ऐसा बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है, तो उसे दर्ज करने के लिए कोई निर्दिष्ट सविधिक प्रारूप नहीं है। परिणामस्वरूप, ऐसे बयान को कितना साक्ष्यात्मक मूल्य या महत्व दिया जाना चाहिए, यह प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनिवार्य रूप से आवश्यक यह है किमृत्युकालिक घोषणा दर्ज करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था। जहाँ मजिस्ट्रेट की गवाही से यह साबित हो जाता है कि घोषणाकर्ता डॉक्टर द्वारा अन्वेषण किए बिना भी बयान देने के लिए स्वस्थ था, वहाँ घोषणा पर कार्रवाई की जा सकती है बशर्ते न्यायालय अंततः उसे स्वैच्छिक और सत्य माने। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि डॉक्टर द्वारा प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से सावधानी का एक नियम है और इसलिए घोषणा की स्वैच्छिकऔर सत्य प्रकृति को अन्यथा स्थापित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यदि हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट जीवन सिंह राजपूत (अ.सा-8) के साक्ष्य की विश्लेषण करें, तो उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 5-6-1999 को वे बिलाईगढ़ खंड में नायब तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे, उस दिन उन्होंने सावित्री, उम्र 22 वर्ष, का मृत्युकालिक घोषणा प्रश्न को प्रश्नोत्तर प्रारूप में दर्ज किया, जो प्रदर्श.पी.-11 है। उन्होंने उससे घटना के बारे में पूछताछ की, तब उसने खुलासा किया कि बहोरनदास ने उस पर हमला किया क्योंकि वह अन्य लड़कों के साथ बात करते हुए हंस रही थी, उसके बाद उसने उसे थप्पड़ मारा और उसके शरीर पर

मिट्टी का तेल डालने के बाद उसे आग लगा दी। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस समय मृत्युकालिक घोषणा दर्ज किया जा रहा था, डॉ. उपाध्याय मौजूद थे। यह कहना गलत है कि उन्होंने पुलिस के निर्देश पर मृत्युकालिक घोषणा लिखा था। मृत्युकालिक घोषणा सुबह 8.40 बजे दर्ज किया गया था। यह कहना गलत है सावित्री के रिक्षेदार मौजूद थे।

14. इस गवाह से प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति उजागर नहीं कर पाया, जिससे इस गवाह की गवाही और मृत्युकालिक घोषणा संदिग्ध हो। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने मृत्युकालिक घोषणा प्रश्नोत्तर के रूप में दर्ज किया था, उसने प्रश्न पूछे थे, सावित्री ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए थे और वही उसके द्वारा लिखा गया था। यद्यपि डॉ. एन.एल. उपाध्याय से अ.सा. 7 के रूप में परिक्षण कराया गया है और उन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि सावित्री के शरीर पर 55% तक जलने के घाव थे, उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा काफी जल गया था, उसकी छाती, मुंह और आंखें भी जल गई थी, वह दर्द से तड़प रही थी, उसने उसे तुरंत मेकाहारा, रायपुर भेज दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सावित्री बोलने या प्रश्नों को समझने में सक्षम नहीं थी। न्यायालय के समक्ष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है इसके अलावा, इस मृत्युकालिक घोषणा की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि सावित्री ने स्वयं थाना बिलाईगढ़ में शिकायत प्रदर्श.पी-13(बी) दर्ज कराई थी, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि शाम करीब 6 बजे बहोरनदास उसके घर आया, उससे पूछा कि वह अन्य लड़कों से क्यों बात कर रही है और हंस रही है, पहले तो उसने उसे थप्पड़ मारा, उसके बाद उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और भाग गया। उसने शोर मचाया, उसकी चीखें सुनकर वह फिर लौटा और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। इतने में दूसरे गाँव वाले भी आ गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सी.बी. प्रधान (अ.सा-14), सहायक उपनिरीक्षक, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 5-6-1999 को वह थाना बिलाईगढ़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उस दिन सावित्री आई, शिकायत दर्ज कराई और खुलासा किया कि बहोरनदास ने यह कहते हुए उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी कि यह किसी दूसरे लड़के के साथ हंस रही है और बात कर रही है। अभियुक्त की उपस्थिति इस तथ्य से स्थापित होती है कि प्रथम दृष्टया में उसे आग लगाने के बाद वह वहां से चला गया, वह फिर वापस आया और आग बुझाने की कोशिश की, इस प्रक्रिया के दौरान उसे भी जल जाने के कारन चोटें आई, जो दिनांक 05.06.1999 को उनकी जांच के बाद डॉ. एन.एल. उपाध्याय (अ.सा-7) द्वारा तैयार की गई प्रतिवेदन प्रदर्श.पी-10 से भी स्थापित होती है।

16. अब, इस तथ्य के संबंध में डॉक्टर द्वारा प्रमाणन के प्रश्न पर आते हैं कि क्या सावित्री मृत्युकालिक घोषणा देते समय मानसिक रूप से स्वस्थ थी, डॉ. एन.एल. उपाध्याय (अ.सा.-7), जिन्होंने मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श.पी.-11) प्रमाणपत्र दिया था, से पूछताछ की गई है, लेकिन उनके अधिवक्ता ने उनसे उनके द्वारा दिए गए प्रमाणन के बारे में नहीं पूछा है और न ही इस पहलू पर उनको प्रति परिक्षण किया गया है कि उन्होंने

प्रमाणपत्र दिया था या नहीं। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट जीवन सिंह राजपूत (अ.सा.-8) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब उन्होंने मृत्युकालिक घोषणा दर्ज किया, तब डॉक्टर मौजूद थे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सावित्री ने मृत्युकालिक घोषणा दिया था। जैसा कि लक्ष्मण वाले मामले में संविधान पीठ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, डॉक्टर द्वारा प्रमाणन अनिवार्य रूप से सावधानी का एक नियम है। मृत्युकालिक घोषणा पर बिना किसी प्रमाणन के भी कार्रवाई की जा सकती है और उसे स्थापित किया जा सकता है, यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह स्थापित हो जाता है कि मृतक द्वारा दिया गया मृत्युपूर्व स्वैच्छिक और सत्य प्रकृति का था, यदि अन्यथा स्थापित किया जा सकता है। इसलिए, मृतक की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में डॉक्टर द्वारा प्रमाणन, यह सुनिश्चित करने के तरीकों में से एक है कि घोषणाकर्ता बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था। यदि किसी कारणवश डॉक्टर का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो घोषणाकर्ता के मृत्युपूर्व को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, यदि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि घोषणाकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ था।

17. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यदि हम वर्तमान मामले में उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों पर गौर करें, तो प्रथम दृष्टया, सावित्री, जो कि घोषणाकर्ता है, ने स्वयं थाना बिलाईगढ़ में सी.बी. प्रधान (अ.सा-14), सहायक उपनिरीक्षक के समक्ष शिकायत {प्रदर्श.पी-13(बी)} दर्ज कराई थी, जिन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि सावित्री ने स्वयं रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके शरीर पर 55% तक जलने के घाव थे। वह दिनांक 4-6-1999 को शाम लगभग 6 बजे जल गई थी, उसने अगले दिन सुबह 8.35 बजे थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई और ठीक उसी दिन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सुबह 8.40 बजे मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श.पी-11) दर्ज किया गया, जो सावित्री द्वारा शिकायत {प्रदर्श.पी-13 (बी)} दर्ज किए जाने के ठीक पांच मिनट बाद था। परिस्थितियों में, उपरोक्त सामग्री के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि जब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने उसका मृत्युकालिक घोषणा दर्ज किया तो वह मृत्युकालिक घोषणा देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी। इसलिए, जीवन सिंह राजपूत ( अ.सा-8) का साक्ष्य विश्वास पैदा करता है और इस साक्ष्य पर स्पष्ट भरोसा किया जा सकता है कि मृत्युकालिक घोषणा के समय घोषणाकर्ता की मानसिक स्थिति के बारे में डॉक्टर के साक्ष्य के बिना भी यह माना जा सकता है कि सावित्री मृत्युकालिक घोषणा देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>दूसरी परिस्थिति</u>**

18. कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श.पी-11) और सहायक उपनिरीक्षक, थाना बिलाईगढ़ के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक घोषणा {प्रदर्श.पी-13(बी)} के अलावा सावित्री ने अन्य स्वतंत्र गवाहों के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक घोषणा दिया था। इस तथ्य को कु. सीता (अ.सा-1), पुत्री सुदेशी, जो एक बालिका है, उम्र 14 वर्ष द्वारा प्रमाणित किया गया है। उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि

जिस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह अपने घर पर थी, उसने अभियुक्त और मृतिका सावित्री के बीच झगड़े की आवाज सुनी। अभियुक्त ने सावित्री को यह कहकर पीटा कि वह अपनी मौसी के होटल में क्यों हंस रही थी। शोरगुल सुनकर वह (अ.सा-1) उस ओर गई तो देखा कि सावित्री जल रही थी, वह कह रही थी कि बहोरनदास ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी है। इसके बाद उसके पिता ने कोटवार को बुलाया और वे बिलाईगढ़ गए। जब अन्य लोग आए, तो उन्होंने भी सावित्री से पूछताछ की। सावित्री ने उन्हें भी बताया कि बहोरनदास ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी है। प्रति परीक्षण में उसने कहा कि यह सही है कि कमरे में मारपीट को देखकर वह उसके घर आई थी। जब उसके पिता आए, तो वह अपने पिता के साथ फिर से सावित्री के कमरे में गई। सावित्री और बहोरनदास के बीच प्रेम संबंध थे। उसने आगे बताया कि जब वे गए, तो सावित्री नेपानी माँगा, लेकिन अभियुक्त वहाँ मौजूद नहीं था।

19. उसके पिता सुदेशी से अभियोजन साक्षी क्र--2 के रूप में पूछताछ की गई। उन्होंने अभियोजन साक्षी क्र-1 के साक्ष्य की पुष्टि की और कहा कि रात लगभग 8 बजे सावित्री जली हुई अवस्था में थी, पूछताछ करने पर उसने बताया कि अभियुक्त ने उसे आग लगा दी है, यहाँ तक कि उसकी बेटी ने भी बताया कि बहोरनदास ने सावित्री की पिटाई की और उसे आग लगा दी। वह बार-बार पानी मांग रही थी, उन्होंने उसे पानी दिया। सावित्री ने बताया कि अभियुक्त ने उसकी निष्ठा पर संदेह करते हुए उसे पीटा और आग लगा दी। वह कोटवार के पास गया और उसे बुलाया। वे सावित्री को बिलाईगढ़ ले जाने के लिए किसी भी वाहन की व्यवस्था नहीं कर सके। बहोरनदास सावित्री से मिलने जाता था, उसने (अ.सा. क्र-2) बहोरनदास को सावित्री के घर न जाने के लिए कहा, उसनेसावित्री को भी बहोरनदास को अपने अपने घर घर न न आने देने के लिए समझाया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। प्रतिपरिक्षण में, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अभियुक्त को सावित्री को आग लगाते नहीं देखा, लेकिन सावित्री ने बताया कि अभियुक्त ने उसे आग लगाई थी। उस रात वह और कोटवार बिलाईगढ़ नहीं गए थे, अगले दिन सुबह वे बिलाईगढ़ गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. लक्ष्मण (अ.सा.-3) पक्षद्रोही हो गया है। उसने अपने साक्ष्य में सिर्फ़ इतना कहा है कि उसने सावित्री को जली हुई हालत में देखा था और सुदेशी को भी वहाँ देखा था। दिलबहार (अ.सा.-4) और जगेसरी बाई (अ.सा.-5) भी पक्षद्रोही हो गए हैं।

21. घासी दास (अ.सा.-12) ने अपने साक्ष्य में यह भी किया है कि उस दिन दिलबहार, स्वदेशी और कोटवार ने उसे बुलाया था, इसलिए वह उनके साथ सावित्री के घर गया, कोटवार पंडास भी वहाँ मौजूद था। पंडास कोटवार ने सावित्री से पूछा कि क्या हुआ है, तो सावित्री ने बताया कि बहोरनदास बाबा ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है। प्रति परिक्षण में, उसने कहा कि उसने खुद उससे कुछ नहीं पूछा।

22. पंचदास (अ.सा.-13) ने भी अपने साक्ष्य में यही कहा है कि सावित्री ने बताया था कि बहोरनदास ने उसे आग लगाई थी। इन गवाहों से प्रतिपरिक्षण में बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति उजागर नहीं कर पाया है जिससे इन गवाहों के साक्ष्य अविश्वसनीय हों।

23. डॉ. संजय कुमार दादू (अ.सा.-18) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने दिनांक 6-6-1999 को सावित्री के शव का शवपरीक्षण किया था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, सिर के बाल झुलसे हुए थे, भौंहें जली हुई थीं, जलने के निशान प्रथम और द्वितीय श्रेणी के थे, कुछ स्थानों पर त्वचा उखड़ी हुई थी, और गर्दन, छाती, पेट, दोनों हाथों, कुल्हे की हड्डी के नुप्री हिस्से और पैरों पर जलने के निशान थे। मृत्यु का कारण जलने के कारण सदमा और दम घुटना था।

24. अतः स्वतंत्र साक्षियों की उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि सावित्री ने उपरोक्त साक्षियों के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक घोषणा दिया था। ये सभी साक्षी स्वतंत्र साक्षी हैं। सावित्री के पिता जीवित नहीं थे, जबकि उसकी माँ जीविकोपार्जन हेतु घर से बाहर जाती थीं और उस समय अभियुक्त सावित्री के घर आया-जाया करता था। इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त को झूठे मामले में फंसाने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक राजपत्रित अधिकारी एवं लोक सेवक हैं, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका ने मृत्युकालिक घोषणा प्रदर्श.पी-11 दिया था। उनके लिए भी मिथ्या साक्ष्य देने का कोई कारण नहीं था, जब तक कि उनको प्रतिपरिक्षण में कोई ऐसी बात अभिलेख पर न आ जाए, जिससे लोक सेवक की निष्पक्षता एवं स्पष्टता पर संदेह उत्पन्न हो।

25. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि डॉ. एन.एल. उपाध्याय (अ.सा-7) ने प्रतिपरिक्षण में कहा है कि 50-60% तक जलने की चोटों के कारण मरीज़ बेचैन और अर्धचेतन अवस्था में रहता है, मरीज़ समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रहा है। डॉक्टर के उपरोक्त साक्ष्य के मद्देनज़र, सावित्री बयान देने के योग्य नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. लेकिन, हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता क्योंकि यह डॉक्टर द्वारा दिया गया सामान्य बयान है, उनसे सावित्री के संबंध में विशेष रूप से प्रतिपरिक्षण नहीं किया गया है कि जब उन्होंने 5-6-1999 को सावित्री की जांच की थी, तो क्या वह बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी या नहीं, जिसके बिना डॉक्टर द्वारा प्रतिपरिक्षण में दिया गया सामान्य प्रकार का बयान अभियुक्त के लिए कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वह वही डॉक्टर है जिसने पहली बार सावित्री को देखा था। उनसे उसकी मानसिकता के पहलू पर प्रतिपरिक्षण नहीं किया गया है कि वह बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी या नहीं।

27. अभियुक्त की ओर से दो बचाव साक्षियों का परीक्षण कराया गया है जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब वे सावित्री के घर गए तो उन्होंने उसे जली हुई अवस्था में देखा। केशव प्रसाद श्रीवास (ब.सा-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसकी भाभी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि सावित्री ने खुद को आग लगा ली थी। निर्मल कुमार (ब.सा-2) ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने सरिता से पूछताछ की थी और उसने बताया कि सावित्री ने खुद को आग लगा ली थी। लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाहों के प्रतिपरिक्षण में इस बचाव को नहीं उठाया गया है। इसके अलावा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस बिंदु पर तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, मृत्युपूर्व बयानों {प्रदर्श पी-11और प्रदर्श पी-13(बी)} और मौखिक मृत्युकालिक घोषणा की उपस्थिति में, इन साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके

अतिरिक्त, सरिता का भी परीक्षण नहीं कराया गया है, जिसने इन दोनों साक्षियों को बताया था कि सावित्री ने खुद को आग लगा ली थी।

28. उपरोक्त परिस्थितियों में, उपरोक्त कारणों से, हमारा यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर सही रूप से विश्वास किया है और अभियुक्त/ अपीलार्थी को दोषी ठहराया है। हम विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाते है।

29. परिणामस्वरूप, अपील, योग्यता गुड से रहित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर-

एल.सी.भादू

न्यायाधीश

15-10-2007

हस्ताक्षर-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

15-10-2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरण:**हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Anubhuti Marhas, Advocate**